न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

पीठासीन अधिकारी– शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D. No- UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–794 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1831 / 2026

(CNR UPLP 01004149-2026)

सूरज कुमार उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र होलीराम राजपूत निवासी ग्राम नान्हूपुरवा, मजरा चन्द्रासा कलां थाना ईसानगर, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

सरकार उ0प्र0

मु0अ0सं0–171 / 2026,
धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0,
थाना–ईसानगर,
जिला लखीमपुर–खीरी।

08.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त सूरज कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–171 / 2026, धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0, थाना–ईसानगर, जिला लखीमपुर–खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– तहरीर के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्यारेलाल द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 09.05.2026 को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनॉक–09.05.2026 को समय प्रातः करीब 04:00 बजे उसकी पुत्री / पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष, जिसे विपक्षी सूरज शादी करने का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। विपक्षी का मो0नं0–9044097840, 9236260918 है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष, निरपराध है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। महज रंजिशन व झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं, वह झूठे व फर्जी हैं। पुलिस से मिलकर

प्रार्थी/अभियुक्त को पुरानी रंजिश के कारण फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है, जो वर्णित धारा प्रार्थी/अभियुक्त पर लागू हो। वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनॉक–09.05.2026 की बतायी जाती है, जबकि गिरफ्तारी मेमो के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी 13.05.2026 को सिसैया चौराहे से बतायी जाती है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस ने घर से पकड़कर उसके साथ वादी मुकदमा की पुत्री की बरामदगी नहीं हुयी थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी और पुलिस ने मिलकर झूठा फंसाया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री को बहला–फुसलाकर नहीं भगाया है, वादिनी मुकदमा की पुत्री ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे उसके विरूद्ध उक्त धाराओं का अपराध बनता हो, इसलिए उसको जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त घर का अकेला है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाता है तो दी गयी जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत धनराशि पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। घटना के समय पीड़िता अवयस्क अवयस्क थी। चूंकि स्वीकृत रूप से पीड़िता अवयस्क है, इसलिए पीड़िता की सहमति विधिक रूप से महत्वहीन है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया परिलक्षित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को विवाह करने के आशय से उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत किये जाने का आरोप है। विवेचक द्वारा केस डायरी में संविलियन विद्यालय मौचनापुर विकास क्षेत्र ईसानगर द्वारा निर्गत पीड़िता के आयु प्रमाण–पत्र की नकल अंकित की गयी है, जिमसें पीड़िता की जन्मतिथि 27.03.2010, अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि 09.05.2026 को 16 वर्ष 01 माह की अवयस्क थी। यद्यपि कि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस में अपनी मर्जी से जाने एवं स्वयं

के साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम न होने का कथन किया है। चूंकि पीड़िता स्वीकृत रूप से अवयस्क है तथा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थी/अभियुक्त के साथ बस से बलरामपुर जाने तथा साथ में रूकने का कथन किया है। ऐसी दशा में अवयस्क पीड़िता की सहमति को विधिक सहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। ऐसे में अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का आधार पर्याप्त नहीं है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का, मैं उचित एवं संतोषजनक आधार नहीं पाता हूॅ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सूरज कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

दिनांक 08.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 12:03:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court